भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4645

दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति के उद्देश्य

4645. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन शक्ति के उद्देश्य / प्रमुख घटक क्या-क्या हैं और महाराष्ट्र में संबल (सुरक्षा और संरक्षा) तथा सामर्थ्य (सशक्तिकरण) घटकों के अंतर्गत कितनी महिला लाभार्थी हैं;

(ख) मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए आरंभ की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना में कोई कमियाँ अथवा चुनौतियां चिन्हित की है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) मिशन शक्ति के अंतर्गत महाराष्ट्र में कितने वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी महिलाओं ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है; और

(छ) इन सुविधाओं के लिए पर्याप्त कर्मचारी/अवसंरचना सहायता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' शुरू किया है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित किया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2022 से महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में प्रभावी हो गया है। मिशन शक्ति में दो उप-योजनाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और सशक्तीकरण के लिए "सामर्थ्य"। 'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (संकल्प: एचईडब्ल्यू) घटक हैं। मिशन शक्ति के तहत घटकों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. संबल:

i. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, **अस्थायी आश्रय,** पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य में, वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से शुरुआत से दिनांक 31.01.2025 तक 35,398 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

ii. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 24/7 सार्वभौमिक टोल फ्री नंबर 181** के माध्यम से देश भर में महिलाओं और बालिकाओं को निर्बाध आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता और सूचना सेवा प्रदान करती है। **महाराष्ट्र राज्य में, डब्ल्यूएचएल के माध्यम से शुरुआत से दिनांक 31.01.2025 तक 1,73,071 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।**

iii. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट और जीवन चक्र निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। इस योजना में मुख्य रूप से सभी हितधारकों

को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।

iv. **नारी अदालत** पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और विवाद के समाधान का विकल्प, शिकायत निवारण, परामर्श और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने जैसी सेवाओं के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करना है। यह घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी विवादों, बाल अभिरक्षा और कार्यस्थल में असमानताओं जैसे लिंग आधारित मुद्दों का समाधान करती है। नारी अदालत 2023-24 से असम तथा जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों (जीपी) में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। 31 दिसंबर 2024 तक, प्रायोगिक असम राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर दोनों में कुल 497 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 414 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।

2. सामर्थ्य:

i. **शक्ति सदन** – यह दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। पिछले तीन वर्षों के दौरान शक्ति सदन के तहत लाभार्थियों की संख्या 3,727 है।

ii. **सखी निवास** - महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर वाले शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान सखी निवास के तहत लाभार्थियों की संख्या 25,602 रही।

iii. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** – यह केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को पहले बच्चे और दूसरा बच्चा बालिका होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन मिलता है। महाराष्ट्र राज्य में पीएमएमवीवाई योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों की संख्या 42,58,077 है और शुरुआत से लेकर 24.03.2025 तक इनमें से 37,99,578 लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है।

iv. **पालना** का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

v. **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप-योजना के तहत एक पहल है, जो एकल खिड़की अंतर-क्षेत्रीय तालमेल तंत्र का कार्य करेगा।

मिशन शक्ति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार संबल उप-योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जबकि सामर्थ्य उप-योजना केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ कार्यान्वित की जाती है, सिवाय पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के, जहां यह अनुपात 90:10 है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

नीति आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन में विभिन्न योजनाओं की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति दिशानिर्देश जारी किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्ष में एक बार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान मिशन शक्ति के तहत समग्र गतिविधियों की प्रगति की निगरानी भी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करके मिशन शक्ति योजना की समीक्षा करते हैं।

(ङ) से (च): महाराष्ट्र राज्य में कुल 55 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यशील हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके माध्यम से 22,170 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। महाराष्ट्र राज्य में पूरे राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) भी कार्यशील है और पिछले तीन वर्षों के दौरान 14,209 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। देश भर में ओएससी के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी और बुनियादी सुविधा संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, मिशन शक्ति के तहत इन योजनाओं का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन है।

*****